सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण – पत्र / REGISTRATION CERTIFICATE

पं. संख्या / REG. NO.- COOP/2023/JAIPUR/205751 दिनांक / DATE- 01-08-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि **ALUMNI ASSOCIATION OF ST WILFRED S P G COLLEGE** जिला **JAIPUR** का रजिस्ट्रेशन ' **राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958)** ' के अन्तर्गत आज किया गया है। यह प्रमाण पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षरों से आज जारी किया गया है।

IT IS CERTIFIED THAT **ALUMNI ASSOCIATION OF ST WILFRED S P G COLLEGE** AT DISTRICT **JAIPUR** IS REGISTERED UNDER **'THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NO. 28, 1958)** ' . THIS CERTIFICATE IS ISSUED TODAY UNDER MY DIGITAL SIGNATURE.

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation /REGISTRAR
Date: 2023.08.01 1?:35:36 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

कार्यकारिणी प्रमाण पत्र / EXECUTIVE COMMITTEE CERTIFICATE

पं. संख्या / **REG. NO.- COOP/2023/JAIPUR/205751** दिनांक / DATE- 01-08-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि **ALUMNI ASSOCIATION OF ST WILFRED S P G COLLEGE** जिला **JAIPUR** का रजिस्ट्रेशन ' **राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958)** ' के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, में पंजीकरण के समय निम्नलिखित कार्यकारिणी हैं। यह प्रमाण पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षरों से आज जारी किया गया है।

IT IS CERTIFIED THAT **ALUMNI ASSOCIATION OF ST WILFRED S P G COLLEGE** AT DISTRICT **JAIPUR** IS REGISTERED UNDER **'THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NO. 28, 1958)** ' HAS THE FOLLOWING EXECUTIVE COMMITTEE AT THE TIME OF REGISTRATION. THIS CERTIFICATE IS ISSUED TODAY UNDER MY DIGITAL SIGNATURE.

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
1		Mohammad Adeel	M	CHAIRMAN/PRESIDENT	S/O Sikandear Khan, Khatipura Road, 22, Rawal Ji ka Bandha, Welcome Colony, Jaipur, 302006, Rajasthan	10/10/1996
2		Ashmita Karva	F	TREASURER	Bhawani Shankar Karva, Baba ramdev mandir ki gali, 59, Rai colony, Barmer, 344001, Rajasthan	03/06/1997
3		Pradeep	M	MEMBER	S/O Satya Narayan, gram-soman, teh.-jayal, Nagaur, 341022, Rajasthan	09/08/2000
4		Neha Kanwar	F	MEMBER	D/O Satyanarayan Singh Jadaun, SWEJ FARM 22 GODAM, H-129, NAND PURI VISTAR, Jaipur, 302006, Rajasthan	29/09/2000
5		Deepti Jain	F	SECRETARY	D/O Rakesh Jain, CHOURA RASTA, 1924, SONTHHALI WALO KA RASTA, Jaipur, 302003, Rajasthan	03/03/2001

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.08.01 1[illegible]:35:36 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
6		Pavan Parashar	M	MEMBER	S/O: Brahmanand Parashar, rudawal near, 62, near bhumiya parikshetra, Bharatpur, 321405, Rajasthan	01/10/2001
7		Pawan Kumar Panwar	M	VICE PRESIDENT	C/O: Jugal Kishore Panwar, kuchaman road, bhatta choraha, Nagaur, 341302, Rajasthan	20/10/2001
8		Zishan Siddiqui	M	JOINT SECRETARY	S/O Mohammad Ahsan Siddiqui, Khatipura Road, 14, Rawal Ji Ka Bandha, Netaji Nagar, Jaipur, 302006, Rajasthan	17/01/2002

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.08.01 1[illegible]:35:36 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur

एलुमनी एसोसिएशन ऑफ सेन्ट विल्फ्रेडस पी.जी. कॉलेज

(ALUMNI ASSOCIATION OF ST. WILFRED'S P.G. COLLEGE)

संघ विधान-पत्र

1. **संस्था का नाम** : इस संस्था का नाम **एलुमनी एसोसिएशन ऑफ सेन्ट विल्फ्रेडस पी.जी.कॉलेज** है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कायक्षेत्र** : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय **सैक्टर-10, मीरा मार्ग, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर** तथा कार्यक्षेत्र **जयुपर** जिले तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्य:** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

1. कॉलेज के सभी पूर्व छात्रों और उनके प्रासंगिक डेटा का रोस्टर रखना।
2. सभी पूर्व छात्रों की अद्यतन एवं समसामयिक जानकारी बनाए रखना।
3. पूर्व छात्रों के बीच घनिष्ठ सम्बन्धों को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना और बढ़ावा देना।
4. पूर्व छात्रों के साथ नियमित सम्पर्क में रहकर उनके बीच अल्मा मेटर से सम्बन्धित होने की निरन्तर भावना को बढ़ावा देना।
5. पूर्व छात्रों को उनके अल्मा मेटर, उसके स्नातकों, संकायों और छात्रों के बारे में जानकारी प्रदान करना और प्रसारित करना।
6. विकास के लिए धन प्राप्त करने में एसडब्ल्यूसीजी के प्रयासों में सहायता और समर्थन करना।
7. एसडब्ल्यूसीजी में हाल ही में अपना अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने वाले पूर्व छात्रों को समाज के लिए उपयोगी उत्पादक गतिविधियों में संलग्न रखने के लिए उनका मार्गदर्शन और सहायता करना।
8. पूर्व छात्रों की पुनर्मिलन गतिविधियों का आयोजन और समन्वय करके आज के शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए पूर्व छात्रों को एक मंच प्रदान करना।
9. पूर्व छात्रों को अपने अल्मा मेटर के प्रति अपना आभार व्यक्त करने देना।
10. पूर्व छात्र संघ संचार के माध्यम से, पूर्व छात्रों के लिए कई प्रकार की छूट और सेवाएँ प्रदान करके, छात्र छात्रवृत्ति और अन्य धन जुटाने की पहल का समर्थन करके कार्यक्रमों और पुनर्मिलन के वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन करके इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

Deepti
मंत्री

Ashan
कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwa
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.08.01 1?:35:36 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur

एलुमनी एसोसिएशन ऑफ सेन्ट विल्फ्रेडस पी.जी. कॉलेज

(ALUMNI ASSOCIATION OF ST. WILFRED'S P.G. COLLEGE)

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम एलुमनी एसोसिएशन ऑफ सेन्ट विल्फ्रेडस पी.जी.कॉलेज है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कायक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय सैक्टर-10, मीरा मार्ग, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर तथा कार्यक्षेत्र जयुपर जिले तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य: इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

1. कॉलेज के सभी पूर्व छात्रों और उनके प्रासंगिक डेटा का रोस्टर रखना।
2. सभी पूर्व छात्रों की अद्यतन एवं समसामयिक जानकारी बनाए रखना।
3. पूर्व छात्रों के बीच घनिष्ठ सम्बन्धों को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना और बढ़ावा देना।
4. पूर्व छात्रों के साथ नियमित सम्पर्क में रहकर उनके बीच अल्मा मेटर से सम्बन्धित होने की निरन्तर भावना को बढ़ावा देना।
5. पूर्व छात्रों को उनके अल्मा मेटर, उसके स्नातकों, संकायों और छात्रों के बारे में जानकारी प्रदान करना और प्रसारित करना।
6. विकास के लिए धन प्राप्त करने में एसडब्ल्यूसीजी के प्रयासों में सहायता और समर्थन करना।
7. एसडब्ल्यूसीजी में हाल ही में अपना अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने वाले पूर्व छात्रों को समाज के लिए उपयोगी उत्पादक गतिविधियों में संलग्न रखने के लिए उनका मार्गदर्शन और सहायता करना।
8. पूर्व छात्रों की पुनर्मिलन गतिविधियों का आयोजन और समन्वय करके आज के शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए पूर्व छात्रों को एक मंच प्रदान करना।
9. पूर्व छात्रों को अपने अल्मा मेटर के प्रति अपना आभार व्यक्त करने देना।
10. पूर्व छात्र संघ संचार के माध्यम से, पूर्व छात्रों के लिए कई प्रकार की छूट और सेवाएँ प्रदान करके, छात्र छात्रवृत्ति और अन्य धन जुटाने की पहल का समर्थन करके कार्यक्रमों और पुनर्मिलन के वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन करके इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

मंत्री

कोषाध्यक्ष

Signature va
Digitally signed by Amitab
Designation : REGISTRA
Date: 2023.08.01 1?:35:3
Reason: Approved
Location: Jaipur

4. सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।

1. संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हो।
2. बालिग हो।
3. पागल, दिवालिये न हो।
4. संस्था के उद्देश्यों में रूचि व अस्था रखते हो।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो।

5. सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होगे :-

1. संरक्षक
2. विशिष्ठ
3. सम्मानीय
4. साधारण

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा

1. संरक्षक	राशि 2,100/- वार्षिक
2. विशिष्ठ	राशि 11,00/- वार्षिक
3. सम्माननीय	राशि 5,00/- वार्षिक
4. साधारण	राशि 2,51/- वार्षिक

7. सदस्यता से निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:-

1. मृत्यु होने पर
2. त्याग पत्र देने पर
3. संस्था के उद्देश्यो के विपरीत कार्य करने पर
4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

8. साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेगें।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होगें

1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
2. वार्षिक वजट पारित करना।
3. प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना
4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

Signature v
Digitally signed by Ami
Designation : REGISTR
Date: 2023.08.01 1?:35
Reason: Approved
Location: Jaipur

10. **साधारण सभा की बैठके :**

1.साधारण सभा की वर्ष में बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पडने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2.साधारण सभा की बैठक का कोरम सदस्यों का 1/3 होगा।

3.बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4.कोरम के अभाव में बैठक स्थागित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निधारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थागित बैठक मे कोरम की कोई आवश्यकता नही होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होगी जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5.संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/ अध्यक्ष द्वारा माह के अन्दर अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेगें तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होगे।

11. **कार्यकारिणी का गठन** : संस्था के कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होगें :

1. अध्यक्ष-एक 2. उपाध्यक्ष-एक 3. सचिव-एक 4. संयुक्त सचिव-एक
5. कोषाध्यक्ष-एक 6. सदस्य-तीन

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 05 पदाधिकारी व 03 सदस्य कुल 08 सदस्य होगे।

12. **कार्यकारिणी का निर्वाचन** :

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के साधारण सभा द्वारा किया जावेगा
2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. **कार्यकारीणी के अधिकारी और कर्त्तव्य अधिकारी और कर्त्तव्य :**

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होगें

1. सदस्य बनाना/ निष्कासित करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. वैतनिक कर्मचारीयों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तो का निर्धारण करना, उन्हे सेवा मुक्त करना।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

Signature

Digitally signed by A
Designation: REGIS
Date: 2023.08.01 1
Reason: Approved
Location: Jaipur

5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।

4. कार्यकारणी की बैठक : कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठके अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

1. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
2. बैठक की सूचना प्राय 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
3. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नही होगी। लेकिन विचारणीय वि ाय वही होगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारीयों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियो के

अधिकार व कर्त्तव्य : संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकारी व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होगेः

1.अध्यक्षः

1. बैठको को आहूत करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठके आहूत करना
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना।

2. उपाध्यक्षः

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
2. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3. मंत्रीः

1. बैठके आहुत करना।
2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
3. आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

अध्यक्ष   मंत्री   कोषाध्यक्ष

Signature

Digitally signed by A
Designation: REGIS
Date: 2023.08.01 1
Reason: Approved
Location: Jaipur

4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन या यात्रा बिल आदि पास करना।

5. संस्था का प्रतिनिधत्व करना व कानूनी दस्तावेजो पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6. पत्र व्यवहार करना।

7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

4.उपमंत्री

1. मंत्री की अनुपस्थिति मे मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
2. अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मंत्री द्वारा सौंपें जावे।

5. कोषाध्यक्ष

1. वार्षिक लेखा जोखा रखना।
2. दैनिक लेखो पर नियन्त्रण करना।
3. चन्दा शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. **संस्था का कोष** : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा।

1. चन्दा
2. शुल्क
3. अनुदान
4. सहायता

1. राजकीय अनुदान
2. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत/निजि/सहकारी बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
3. अध्यक्ष/मंत्री/ कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरो से बैंक से लेन-देन सम्भव हो सकेगा।

17. **कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :-**

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगें

1. अध्यक्ष : 11,000/- रू.
2. मन्त्री : 11,000/- रू.
3. कोषाध्यक्ष : 11,000/- रू.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

अध्यक्ष　　　　मंत्री　　　　कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.08.01 12:35:37 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur

18. **संस्था का अंकेक्षण** : संस्था के समस्त लेखो का वार्षिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

19. **संस्था का विधान में परिर्वतनः-**

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिर्वतन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. **संस्था का विघटन :**

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पति का समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजि ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. **संस्था के लेखे जखे का निरीक्षण :**

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर को संस्थाके रिकार्ड का निरीक्षण/जाँच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) **एलुमनी एसोसिएशन ऑफ सेन्ट विल्फ्रेडस पी. जी.कॉलेज** है व रहेगा। की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष | मंत्री | कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation :REGISTRAR
Date: 2023.08.01 1?:35:37 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur